

चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद और करनाल अंचल के लिए लागू ऑटो कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स के वित्तपोषण के लिए योजना

लक्षित समूह	ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के टीयर I और टीयर II आपूर्तिकर्ता ।
प्रयोजन	निधि आधारित (एफबी) और गैर निधि आधारित (एनएफबी) लिमिट के जरिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स (ओईएम के टीयर I और टीयर II सप्लायर्स) के लिए क्षेत्र विशिष्ट योजना।
प्रयोज्यता	अहमदाबाद, चेन्नई पुणे और करनाल अंचल
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यक्ति/मालिकाना फर्म/साझेदारी फर्म (साझेदारी फर्मों के अलावा जहां एचयूएफ भागीदार है)/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)/कंपनियां (एनबीएफसी को छोड़कर)। ➤ फर्म/कंपनी को पहले से ही एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए गतिविधि में शामिल होना चाहिए। ➤ यह योजना उन खातों पर लागू होगी जो कि मॉडरेट जोखिम तक की श्रेणी में हैं।
सुविधा की प्रकृति	<ul style="list-style-type: none"> • कार्यशील पूंजी सीमाओं और सावधि ऋणों के लिए निधि आधारित सीमाएं। • आयातित/स्वदेशी आवश्यक मशीनरी की खरीद के उद्देश्य से बीसी/एलसी/एफएलसी जारी करने के लिए गैर-निधि आधारित सीमाएं।
ऋण राशि	न्यूनतम : रु 25 लाख अधिकतम : रु 50 करोड़
मार्जिन	मौजूदा दिशानिर्देशानुसार
ब्याज दर	ब्याज दर प्रतिभूति/अनुमोदित संपार्श्विक के मूल्य और आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेड से जुड़ी हुई है।
अग्रिम शुल्क	लागू शुल्कों से 50% रियायत।
एनएफबी लिमिट पर कमीशन	मौजूदा दिशानिर्देशानुसार- कोई रियायत नहीं
प्रतिभूति	<p>प्राथमिक : बैंक वित्त से सृजित आस्तियां</p> <p>संपार्श्विक: निम्नलिखित के अधीन संपार्श्विक प्रतिभूति के माध्यम से जोखिम का न्यूनतम 75% प्रतिभूत किया जाना है:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. वाणिज्यिक/आवासीय/कारखाना-भूमि और भवन के रूप में अचल संपत्तियां। b. सरकार की फ्री होल्ड/लीज होल्ड संपत्तियां स्वीकार्य हैं। c. अंकित मूल्य या वर्तमान मूल्य, जो भी अधिक हो, के साथ बैंक जमा। d. लागू मार्जिन के साथ स्वीकृत संपार्श्विक ।
सीजीटीएमएसई कवर	मौजूदा दिशानिर्देशानुसार
वैधता	31.03.2024 (दिनांक 30.09.2023 को योजना के निष्पादन की समीक्षा के अधीन)

नियम और शर्तें लागू। ऊपर दी गई जानकारी केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने निकटतम केनरा बैंक शाखा से संपर्क करें या hosbu@canarabank.com पर ईमेल करें।